

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर

आदेश

रायपुर दिनांक : 15 सितम्बर 2006

क्रमांक : एफ-4-188/2003/18 :- राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव हेतु नीचे दी गई तालिका के कॉलम 04 में उल्लेखित पूर्व में स्वीकृत समस्त पदों को समाप्त करते हुए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 58 के अंतर्गत नीचे दी गई तालिका के कॉलम क्रमांक 05 में दी गई संख्या अनुसार नई पद संरचना स्वीकृत करता है :-

क.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	विभाग द्वारा प्रस्तावित कुल पद संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	7	8
प्रथम श्रेणी पद					
1	आयुक्त	10000-15200	1	1	
2	कार्यपालन अभियंता	10000-15200	1	1	
3	स्वास्थ्य अधिकारी	10000-15200	1	1	
4	प्राचार्य	8000-13500	2	2	
			5	5	
द्वितीय श्रेणी पद					
5	सहायक अभियंता	8000-13500	3	4	
6	आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी	8000-13500	3	3	
7	लेखा अधिकारी	8000-13500	1	1	
8	राजस्व अधिकारी	8000-13500	1	1	
9	निगम सचिव	8000-13500	1	1	
10	विधि अधिकारी	8000-13500	-	1	
11	समाज कल्याण अधिकारी	8000-13500	-	1	
12	उद्यान अधिकारी	8000-13500	-	1	
13	सहायक नगर निवेशक	8000-13500	-	1	
			9	14	
तृतीय श्रेणी पद					
14	व्याख्याता	5500-9000	11	11	
15	कार्यालय अधीक्षक	5500-9000	1	1	
16	सहायक कार्यालय अधीक्षक / सहायक ग्रेड-1	4500-7000	-	2	
17	जनसम्पर्क अधिकारी	5000-8000	1	1	
18	सहायक लेखा अधिकारी	5500-9000	-	1	
19	अग्निशमन अधिकारी	5000-8000	-	1	
20	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	4500-7000	1	2	
21	कम्प्यूटर आपरेटर	4000-6000	-	2	
22	स्टेनो टायपिस्ट	3050-4590	-	1	


क.	पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	विभाग द्वारा प्रस्तावित कुल पद संख्या
1	2	3	4	7
23	ड्राफ्टमैन	5000-8000	-	1
24	लेखापाल	4000-6000	1	2
25	सहायक ग्रेड-2 (उ.श्रे.लि.)	4000-6000	12	12
26	सहायक ग्रेड-3 (नि.श्रे.लि.)	3050-4590	26	26
27	सहायक राजस्व अधिकारी	5500-9000	1	1
28	राजस्व निरीक्षक/ राजस्व अधीक्षक	4500-7000	2	4
29	राजस्व उपनिरीक्षक	3500-5200	8	10
30	पटवारी	3050-4590	1	2
31	सहायक राजस्व निरीक्षक/ मोहरिर	3050-4590	38	38
32	Leading फायरमैन	4000-6000	-	1
33	फायरमैन	3050-4590	3	4
34	इलेक्ट्रीशियन/ हेड मिस्त्री	3050-4590	2	3
35	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	6500-10500	-	1
36	स्वच्छता निरीक्षक	4500-7000	5	2
37	कनिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक	3500-5200	-	2
38	सफाई दरोगा	3050-4590	7	7
39	मैकेनिक कम फीटर	3050-4590	2	2
40	उप अभियंता	5000-8000	5	8
41	समयपाल/ कार्य सहायक	3050-4590	2	4
42	वेकसीनेटर	3050-4590	1	1
43	कम्पाउंडर	3050-4590	5	5
44	पंप ऑपरेटर	3050-4590	9	9
45	वाहन चालक	3050-4590	12	12
46	ग्रंथपाल	5000-8000	2	1
47	सहायक ग्रंथपाल	3050-4590	1	1
48	प्रधान अध्यापिका	4500-7000	1	1
49	उच्च श्रेणी शिक्षक	5000-8000	32	32
50	व्यायाम शिक्षक	5000-8000	2	2
51	सहायक शिक्षक	4000-6000	1	1
52	प्रयोग शाला सहायक	4000-6000	1	1
		योग	196	218
चतुर्थ श्रेणी पद				
54	विज्ञान परिचालक	2700-4400	3	3
55	वालमैन कंट्रोलर	2550-3200	2	2
56	फिल्टरमैन	2550-3200	4	4
57	परिचालक/ खलासी	2550-3200	12	12
58	लाईनमैन/ वायरमैन	2550-3200	12	12
59	माली/मालिन	2550-3200	15	15
60	रिक्शा चालक	2550-3200	3	3
61	भृत्य	2550-3200	116	116
62	सफाई कर्मचारी	2550-3200	200	200
63	चौकीदार	2550-3200	3	3
64	पम्प कुली	2550-3200	4	4

पदनाम	वेतनमान	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	विभाग द्वारा प्रस्तावित कुल पद संख्या	रिमार्क
2	3	4	7	8
65 वेल्डर	2550-3200	1	1	
66 विद्युत लाईनमेन	2550-3200	4	4	
	योग	379	379	
	कुल योग	589	616	

शर्तें :-

- राज्य शासन द्वारा उक्त नगर पालिक निगम हेतु समय-समय पर अन्य पद जो पूर्व में स्वीकृत किये गये थे, किन्तु उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं हैं, तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जावेंगे।
- स्थापना व्यय की अधिकतम सीमा 65 प्रतिशत होगी, जिसके अंतर्गत नगर पालिक निगम द्वारा पदों की पूर्ति राज्य शासन की अनुमति प्राप्त कर प्रभावशील नियमों एवं शासन निर्देशों के अनुसार की जा सकेगी।
- यदि किसी पद की पूर्ति में स्थापना व्यय 65 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो, तो नगर पालिक निगम अपनी वास्तविक आय और व्यय की जानकारी भेजकर राज्य शासन की अनुमति उपरांत ही पद पूर्ति करेंगे।
- सहायक ग्रेड-3, राजस्व निरीक्षक एवं स्टेनो ग्रेड-3 के पद पर सीधी भर्ती हेतु कम्प्यूटर की योग्यता होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त शर्तों के अक्षरशः पालन हेतु संबंधित आयुक्त व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(अल्ताफ अहमद) 15/9/06
अवर सचिव

पृ.क्र.: एफ-4-188 / 2003 / 18

रायपुर, दिनांक : 15 सितम्बर 2006

प्रतिदिशि :-

- निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- निज सचिव, सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर
- आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, रायपुर
- डिप्टी कमिश्नर, जिला -- राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)
- उप संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संभागीय कार्यालय, रायपुर
- महापौर, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
- आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव
- आर्डर बुक
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव 15/9/06

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

—: आदेश :—


नया रायपुर, दिनांक 18/11/2015

कमांक एफ 4-11/2015/18 (6) :: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.06.2015 जिसके द्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, को राज्य शासन एतद्वारा निरस्त करते हुए नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के लिए प्लेसमेंट पर कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल श्रमिकों की निम्नानुसार अधिकतम संख्या निर्धारित करता है:-

क्र.	शाखा का नाम	पद श्रेणी	प्लेसमेंट कर्मचारियों की कुल संख्या
1	लोक निर्माण एवं भवन अनुज्ञा	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
		श्रमिक	21
2	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता	श्रमिक (सफाई)	178
3	जल कार्य	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
		पंप अटेंडेंट	23
		हैण्डपंप मैकेनिक	20
		श्रमिक	17
4	विद्युत/यांत्रिकी	कम्प्यूटर ऑपरेटर	2
		इलेक्ट्रिशियन	1
		चालक	34 ✓
		श्रमिक	12
5	सामान्य प्रशासन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	4
6	उद्यानिकी	माली	10
		श्रमिक	35
7	राजस्व/बाजार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	3
8	अग्निशमन	फायरमैन	3 ✓
9	डाटा सेन्टर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	1
		कुल	366

शर्तें :-

- उपरोक्त तालिका अनुसार कुशल/अर्द्धकुशल/अकुशल कर्मचारी मात्र प्लेसमेंट पर विहित प्रक्रियानुसार प्रतिस्पर्धा से चयनित प्लेसमेंट एजेंसी से ही कार्य पर रखे जावेगे। इसके एवज में, नियमित/सविदा या अन्य विधि से कोई नियुक्ति नहीं की जावेगी।
- निकाय में, सफाई व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु मानव बल की स्वीकृति के संबंध में संचालनालय के आदेश क्र. 462 दि. 11.05.2012 के अनुसार ही मानव बल (नियमित एवं प्लेसमेंट) रखे जावेगे।



- 3 राज्य शासन द्वारा निकाय की जनसंख्या, सीमा, कर्तव्यों, परिसंपत्तियों की संख्या एवं अन्य आनुषांगिक सुसंगत कारणों को दृष्टिगत रखते हुए, समय-समय पर समीक्षा कर प्लेसमेंट पर कुशल, अर्द्धकुशल अकुशल कर्मचारी नियुक्त करने की अधिकतम सीमा में यथा कमी/वृद्धि की जा सकेगी।
- 4 प्लेसमेंट के कर्मचारियों की प्रातः कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं सायं कार्य समाप्ति के उपरांत, अर्थात् दो बार बायोमेट्रिक उपस्थिति ली जाना अनिवार्य होगा।
- 5 बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही, प्लेसमेंट कर्मचारियों को मासिक पारिश्रमिक, उनके बैंक खाते में मात्र आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा। ईपीएफ, ईएससीआई आदि की भी गणना कर, प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा आरटीजीएस द्वारा हस्तांतरित किया जावेगा एवं बैंक द्वारा आरटीजीएस की गई राशि की मूल रसीद प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा अनिवार्य रूप से निकाय को प्रस्तुत की जावेगी। निकाय द्वारा संविदा शर्तों के अनुसार प्लेसमेंट एजेंसी को भुगतान/प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जावेगी।
- 6 प्लेसमेंट कर्मचारियों को, जिला कलेक्टर द्वारा जारी दर अनुसूची के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7 प्लेसमेंट पर कर्मचारी रखे जाने हेतु श्रम विभाग के समस्त नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8 निकाय की राज्य शासन द्वारा स्वीकृत नियमित पद संरचना में, भविष्य में रिक्त पद पर पूर्ति होने के समय, प्लेसमेंट के समान/समकक्ष कर्मचारियों की संख्या में स्वमेव, समानुपातिक कटौती हो जावेगी। उदाहरण स्वरूप यदि निकाय में सहायक ग्रेड-3 के एक रिक्त पद पर भर्ती की जाती है तो प्लेसमेंट में लिपिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर की निर्धारित संख्या में स्वमेव 01 कर्मचारी की कमी हो जावेगी।
- 9 यदि निकाय में, न्यायालय अथवा राज्य शासन के पूर्व आदेशों के कारण दैनिक वृत्ति पर कर्मचारी कार्यरत है, जो कि प्लेसमेंट के अंतर्गत कार्यरत नहीं है, उनके प्रकरणों की स्थिति (Status) इस आदेश से प्रभावित नहीं होगी, किन्तु मात्र उनकी संख्या की गणना प्लेसमेंट की अधिकतम संख्या के अंतर्गत की जावेगी।
- 10 आपात स्थिति/आकस्मिकता/प्राकृतिक संकट के दौरान यथा छ.ग. नगर पालिक अधिनियम 1956 तथा छ.ग. नगर पालिका प्रेसीडेंट-इन-काउंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य नियम 1998, तथा समय-समय पर राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

AKA

- 11 उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसके लागू होने की तिथि से, निर्धारित संख्या से अधिक प्लेसमेंट कर्मचारी निकाय में रखे जाने पर, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए अतिरिक्त व्यय की कटौती उनके वेतन से करते हुए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

आदेश का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(बी.एल.सोनी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

नया रायपुर, दिनांक 18/11/2015

पू. एफ 4-11/2015/18 (6)

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, संचालनालय, छ0ग0, नया रायपुर,
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, छ0ग0, नया रायपुर,
4. कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव,
5. महापौर/आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव,
6. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/
बिलासपुर/अंबिकापुर/जगदलपुर/दुर्ग
7. जिला प्रभारी
8. अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/
अंबिकापुर/ जगदलपुर/दुर्ग।
9. प्रोग्रामर, डाटा सेन्टर, संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, नया रायपुर को
वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
10. रिकार्ड फाईल।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

श्री प्रशास

ग्यूस

जल प्रदाय विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय

दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

34

पुनः
पुर-प
10/9/17

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 10/9/17

क्रमांक एफ-4-188/2003/18: राज्य शासन एतद्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में दिनांक 31.12.1997 तक कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने हेतु निम्नानुसार सांख्येतर पद निम्नालेखित शर्तों पर स्वीकृत किया गया है :-

क	स्वीकृत सांख्येतर पद का नाम	स्वीकृत सांख्येतर पद संख्या	वेतनमान	रिक्त
1.	राजस्व रुप निरीक्षक	01	3500-5200	
	सहायक ग्रेड-3	07	3050-4590	
3.	मीटर रिडर	04	3050-4590	
4.	चालक	03	3050-4590	
5.	पम्प अटेंडेंट	02	3050-4590	
			2550-3200	
			2550-3200	
8.	कुकर	03	2550-3200	
9.	वाल्मैन	01	2550-3200	
10.	सफाई कामगार	75	2550-3200	
11.	चौकीदार	05	2550-3200	
12.	वाचमैन	04	2550-3200	
13.	क्लीनर	03	2550-3200	
14.	कनसर्वेटर	04	2550-3200	
	योग	210		

- वर्ष 1997 तक के दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को पदों पर नियमित करने के लिए स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर प्रचलित सेवा शर्तों के तहत नियमित किया जायेगा। स्वीकृत सांख्येतर पदों पर नियमितकरण तभी किया जायेगा जब तक सुनिश्चित हो जाये कि निकाय में पूर्व से उपलब्ध पदों पर नियमितकरण संभव नहीं है। इसका पूर्ण अन्तर्गत आगामी का होगा।

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

रायपुर, दिनांक 24 अप्रैल, 2015

क्रमांक: एफ 4-10/2015/18 :: राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम, 1956 की धारा 58 एवं सहपठित छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तों) नियम 2007 के नियम (3) के अन्तर्गत नगर पालिक निगमों में उप अभियंता (सिविल), लेखापाल, राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक के पूर्व में समय-समय पर स्वीकृत पदों के अतिरिक्त निम्नानुसार अस्थायी पद स्वीकृत करता है:-

क्र	नगरपालिक निगम	उप अभियंता (सिविल) 9300-34800+4200	लेखापाल 5200-20200+2400	राजस्व निरीक्षक 5200-20200+2800	स्वच्छता निरीक्षक 5200-20200+2800
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	30	04	18	21
2	बीरगांव	04	01	03	03
3	धमतरी	03	01	04	01
4	दुर्ग	06	00	01	05
5	भिलाई	19	04	05	15
6	राजनादगाव	02	01	02	04
7	जगदलपुर	04	01	03	03
8	बिलासपुर	09	03	11	08
9	कोरबा	03	02	04	04
10	रायगढ़	04	01	01	05
11	अबिकापुर	00	00	01	02
12	चिरमिरी	00	01	00	01
	योग	84	19	53	72

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.एल. सोनी)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग